

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/आर-237/2025- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० कुंदन कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के दिनांक-16.09.2020 से 06.10.2021 तक अध्ययन अवधि एवं दिनांक-07.02.2021 से 25.02.2022 तक एवं दिनांक-26.02.2025 के प्रभार रहित अवधि को निम्न रूप में स्वीकृत किया जाता है:-

i	दिनांक-16.09.2020 से 06.10.2021 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
ii.	दिनांक-07.10.2021 से 25.02.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
iii.	दिनांक-26.02.2025 को	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर-237/2025- 2317(2) पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/डा० कुंदन कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. M. K. 21/9/26
सरकार के उप सचिव
E